संख्या-15/2016/ 937 /अडतीस-7-2016-46नरेगा/2015

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।
2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 23 जून, 2016**

विषय- मुख्य मंत्री जल बचाओ अभियान अन्तर्गत मनरेगा योजना में चयनित तालाबों के निर्माण एवं पुनरोद्धार के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कराये गये कार्यों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत होंगे कि मनरेगा योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के अन्तर्गत 01 हेक्टेयर एवं उससे कम के तालाबों के निर्माण एवं पुनरोद्धार हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपदवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसके सापेक्ष तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत चयनित तालाबों के निर्माण एवं पुनरोद्धार के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अब तक कराये गये कार्यों का जनपदवार सत्यापन कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त तालाबों की सूची में राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों का नाम अंकित है अथवा नहीं। उक्त के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निजी भूमि पर तालाबों की खुदाई तो नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त यह भी देख लिया जाय कि उक्त तालाबों में पानी की उपलब्धता बनाये रखने हेतु वर्षा जल संचयन हेतु चैनल का निर्माण/इनलेट आउटलेट की व्यवस्था है। यदि नहीं, तो वर्षा जल संचयन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ को नियमानुसार एमआईएस पर अपलोड भी किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीया

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव ।

संख्या- 15/2016/937(1)/अड़तीस-7-2016-तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री(श्री अमित गुप्ता), उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।